संख्या:32/2018/2278/12-2-2018-60(6)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2018**

विषय: फसल ऋण मोचन योजना तथा एन0पी0ए0 समाधान योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्थागत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-708 बी/ क0 नि0-6-2018-1(बी)/2017-टी0सी0-2 दिनांक 13 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि योजना के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के स्तर से फिल्टर के उपरान्त जो प्रकरण मुख्यालय से सस्पेक्ट के आधार पर डी0एल0सी0 को वापस किये गये हैं, को डी0एल0सी0 द्वारा स्थलीय सत्यापन के आधार पर उन्हे यदि पात्र पाते हैं तो उनकी प्रविष्टियों में यथावश्यक संशोधन कर कृषकों को योजना का लाभ प्रदान किए जाने हेतु योजना में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाय और पोर्टल पर संशोधित/असंशोधित दोनों प्रविष्टियॉ अपलोड करने की कार्यवाही एन0आई0सी0 द्वारा की जाएगी।

3. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराऍं।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:32/2018/2278(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा हाऊस, लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।